[2021] 9 एस. सी. आर 846

राजेश प्रवीणचंद्र राजगुरु

बानाम

गुजरात जल आपूर्ति और सेवा बोर्ड और ओ. आर. एस.

(2021 की सिविल अपील संख्या 7578)

17 दिसंबर, 2021

[डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़ और एम. आर. शाह, जे. जे.]

सेवा कानून-वेतनमान का अनुदान-स्वायत्त निकाय बनाम समानता के लिए राज्य सरकार का दावा-अपीलकर्ताओं ने इस रूप में काम किया उत्तरदाता-बोर्ड-उत्तरदाता के साथ दैनिक मूल्यांकन वाले कर्मचारियों ने 1988 में राज्य सरकार द्वारा पारित एक प्रस्ताव (अभिभावक संकल्प) को अपनाया, जिसमें कुशल दैनिक मजदूरी को लाभ दिया गया।

उपरोक्त वेतनमान के लिए-एकल न्यायाधीश द्वारा अनुमत लिखित याचिका-खंड पीठ द्वारा अपास्त किया गया आदेश-अपील पर अभिनिर्धारित किया गया: बोर्ड ने बाद के प्रस्तावों को कभी नहीं अपनाया-प्रतिवादी के साथ काम करने वाले अपीलार्थी, एक स्वायत्त निकाय, राज्य सरकार और राज्य सरकार के कर्मचारियों के साथ समानता का दावा नहीं कर सकते हैं। स्वायत्त निकायों को बराबरी पर नहीं रखा जा सकता है-अपीलकर्ता अधिकार के रूप में बाद के सरकारी प्रस्तावों से प्राप्त लाभों का दावा नहीं कर सकते हैं-इसके अलावा, बाद के प्रस्तावों के तहत लाभ गलती से कुछ क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा दिए गए थे, जिन्हें बाद में वापस ले लिया गया और वसूली की भी मांग की गई थी

अपीलकर्ता ऐसे अन्य दैनिक मूल्यांकन के साथ समानता का दावा नहीं कर सकते हैं।

कर्मचारी अनुच्छेद 14 का उपयोग करके यदि वे अन्यथा इस तरह के लाभ के हकदार नहीं हैं-भारत का संविधान-अनुच्छेद 14-समान काम के लिए समान वेतन का सिद्धांत।

सेवा कानून-मजदूरी/वेतनमान का निर्धारण-आयोजित: आर्थिक व्यवहार्यता या नियोक्ता की वित्तीय क्षमता महत्वपूर्ण है।

वेतन संरचना तय करते समय कारक-कर्मचारी यह दावा नहीं कर सकते कि उनके वेतनमान को आवश्यक रूप से संशोधित किया जाना चाहिए और/या उन्हें कुछ अतिरिक्त लाभ/लाभ दिए जाने चाहिए-वेतन प्रदान करना।

न्यायालयों द्वारा समानता के परिणामस्वरूप प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है

परिणाम।

भारत का संविधान अनुच्छेद 14-सकारात्मक सिद्धांत

समानता-आयोजित: अनुच्छेद 14 केवल सकारात्मक समानता की अवधारणा को मूर्त रूप देता है न कि नकारात्मक समानता-अवैधता और अनियमितता को बनाए रखने के लिए इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता है।

याचिकाओं को खारिज करते हुए अदालत ने

पकड़ना: 1.1 बोर्ड ने बाद वाले को कभी नहीं अपनाया

बोर्ड के दैनिक मूल्यांकन वाले कर्मचारियों को नहीं दिया जाएगा। मूल संकल्प दिनांक 17.10.1988 को अपनाने के बाद से, प्रत्यर्थी-बोर्ड ने सभी मूल रिट याचिकाकर्ताओं को मूल प्रस्ताव के तहत लाभ प्रदान किए-दैनिक मूल्यांकन वाले कर्मचारी

उनके 5 वर्ष और 10 वर्ष पूरे होने पर। इसलिए, बोर्ड, जो इस अधिनियम के तहत बनाया गया एक स्वायत्त और वैधानिक निकाय है, ने कभी भी सरकारी प्रस्तावों दिनांक 1 और 2 को नहीं अपनाया और जब तक कि उक्त प्रस्तावों को प्रतिवादी-बोर्ड द्वारा स्वीकार नहीं किया जाता है, तब तक प्रतिवादी-बोर्ड के साथ काम करने वाले दैनिक श्रेणी के कर्मचारी इस अधिकार के हकदार नहीं होंगे -

बाद के संकल्पों से होने वाले लाभ। वहाँ होगा।

बाद के संकल्पों को स्वचालित रूप से अपनाया जाना और/या लागू नहीं किया जाना चाहिए। उन परिस्थितियों में जो उचित रूप से आयोजित की गई हैं डिवीजन बेंच, प्रतिवादी बोर्ड के दैनिक मूल्यांकन वाले कर्मचारी अधिकार के मामले में 1991 और 1992 के प्रस्तावों से लाभ का दावा नहीं कर सकते हैं। [पैरा 13.2] [861-ई-एच; 862-ए-बी]

1.2 यहां तक कि प्रतिवादी-बोर्ड के साथ काम करने वाले दैनिक मूल्यांकन वाले कर्मचारी होने के नाते भी वे इसके साथ समानता का दावा नहीं कर सकते हैं

राज्य सरकार के कर्मचारी। प्रत्यर्थी-बोर्ड अधिनियम के तहत बनाया गया एक स्वायत्त और वैधानिक निकाय है। अंततः यह उत्तरदाता-बोर्ड पर है कि वह एक सचेत निर्णय ले

जिसे वेतनमान पर एक नीतिगत निर्णय [2021] 9 एस. सी. आर. कहा जा सकता है।

अपनाए गए और/या कुछ लाभ जिनके वित्तीय लाभ होंगे प्रभाव। सब कुछ इसकी आर्थिक व्यवहार्यता या वित्तीय क्षमता पर निर्भर करता है। वेतन संरचना को तय करते समय नियोक्ता की आर्थिक व्यवहार्यता या वित्तीय क्षमता एक महत्वपूर्ण कारक है, अन्यथा इकाई स्वयं कार्य करने में सक्षम नहीं हो सकती है और अनिवार्य रूप से बंद करनी पड़ सकती है और कर्मचारियों के लिए विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं। कर्मचारी वैध रूप से यह दावा नहीं कर सकते कि उनके वेतनमान को आवश्यक रूप से संशोधित किया जाना चाहिए और/या उन्हें कुछ अतिरिक्त लाभ/लाभ दिए जाने चाहिए। पदों और वेतन का समीकरण एक है

जटिल मामला जिसे विशेषज्ञ निकाय और उपक्रमों पर छोड़ दिया जाना चाहिए और अदालत हल्के में हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। न्यायालय द्वारा वेतन समानता प्रदान करने के परिणामस्वरूप प्रतिकूल परिणाम हो सकते हैं। 'समान काम के लिए समान वेतन' के सिद्धांत की प्रयोज्यता की सीमाएँ या योग्यताएँ हैं। प्रतिवादी-बोर्ड एक स्वतंत्र इकाई है और इसकी अपनी वित्तीय क्षमता हो सकती है और इसलिए इसके कर्मचारी राज्य सरकार के कर्मचारियों के साथ समानता का दावा नहीं कर सकते हैं। राज्य सरकार और स्वायत्त बोर्ड/निकायों को बराबर नहीं रखा जा सकता है। बोर्ड को अपने वित्तीय संसाधनों पर निर्भर रहना पड़ता है। इसलिए, बोर्ड के दैनिक मूल्यांकन वाले कर्मचारी सरकारी कर्मचारियों के साथ वेतनमान की समानता का दावा नहीं कर सकते हैं। एकल न्यायाधीश ने बोर्ड को दिनांकित सरकारी प्रस्तावों से प्राप्त लाभों को प्रदान करने का निर्देश देने में गलती की

01.05.1991 और 15.02.1992 जिसे उचित रूप से अलग रखा गया है उच्च न्यायालय की खंड पीठ। [पैरा 13.3-13.6,14] [862-सी-एच; 863-सी-डी, एफ-जी]

1.3 जहां तक मूल रिट याचिकाकर्ताओं की ओर से यह निवेदन कि एकल न्यायाधीश द्वारा स्वीकार किया गया था कि बोर्ड के अन्य दैनिक श्रेणी के कर्मचारियों की संख्या को 1991 और 1992 के प्रस्तावों से प्राप्त लाभों के रूप में, शेष दैनिक श्रेणी के कर्मचारियों को समान लाभों का भुगतान नहीं करना भेदभावपूर्ण होगा और भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन होगा, यह ध्यान रखना आवश्यक है कि इस तरह के अधिकार के मामले में शुरुआत से ही यह मामला था।

प्रत्यर्थी-बोर्ड कि 1991 और 1992 के प्रस्तावों के तहत लाभ अनजाने में और गलती से कुछ लोगों द्वारा दिए गए थे

क्षेत्रीय कार्यालयों में से, जिन्हें बाद में वापस ले लिया गया, राजेश प्रवीणचंद्र राजगुरु बनाम।

गुजरात जल आपूर्ति और सेवा बोर्ड

और यहाँ तक कि वसूली की भी मांग की जाती है। मूल रिट याचिकाकर्ता बोर्ड के दैनिक मूल्यांकन वाले कर्मचारी 1991 और 1992 के सरकारी प्रस्तावों से प्राप्त लाभों के हकदार नहीं हैं। इसलिए, वे समानता के आधार पर लाभ का दावा करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 14 का उपयोग नहीं कर सकते हैं यदि वे अन्यथा इस तरह के लाभ के हकदार नहीं हैं। कानून के तय प्रस्ताव के अनुसार संविधान का अनुच्छेद 14 सकारात्मक की अवधारणा को मूर्त रूप देता है।

केवल समानता और नकारात्मक समानता नहीं। अवैधता और अनियमितताओं को कायम रखने के लिए इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। के लिए चुनौती उच्च न्यायालय की खंड पीठ द्वारा पारित विवादित निर्णय विफल हो जाता है। [पैरा 15] [863-जी-एच; 864-ए-सी]

गुजरात राज्य और अन्य बनाम। पीडब्ल्यूडी कर्मचारी संघ

और अन्य, (2013) 12 एससीसी 417: [2013] 10 एससीआर 1091

- अप्रयोज्य रखा गया।

उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य बनाम राजकुमार शर्मा और अन्य,

(2006) 3 एससीसी 330: [2006] 2 एस. सी. आर. 877; पश्चिम राज्य

(2011) 14 एससीसी 187: [2011] 13 एससीआर 1077; पंजाब राज्य सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ लिमिटेड

और एक अन्य वी। बलबीर कुमार वालिया और अन्य, (2021)

8 एस. सी. सी., 784 2021 (7) जे. टी. 275-पर निर्भर था।

पी. सिंगरावेलन और अन्य बनाम जिला कलेक्टर, तिरुपुर

और डी. टी. और अन्य (2020) 3 एस. सी. सी. 133: [2019] 15 एस. सी. आर. 408; सचिव, वित्त विभाग और अन्य

वी. पश्चिम बंगाल पंजीकरण सेवा संघ और

अन्य, 1993 पूरक (1) एस. सी. सी. 153; बिहार राज्य और अन्य वी। बिहार माध्यमिक शिक्षक संघर्ष समिति,

मुंगेर और अन्य, (2019) 18 एस. सी. सी. 301-संदर्भित।

मामला कानून संदर्भ

अप्रयोज्य रखा गया

[2013] 10 एससीआर 1091

पैरा 7

[2006] 2 एससीआर 877

उस पर भरोसा करें

पैरा 9.8

[2011] 13 एससीआर 1077

उस पर भरोसा करें

पैरा 9.8

[2019] 15 एससीआर 408

पैरा 9.8

[2021] 9 एस. सी. आर. को संदर्भित।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णय: सिविल अपील No.7578

2021 से।

2020 के लेटर्स पेटेंट अपील No.82 में अहमदाबाद में गुजरात उच्च न्यायालय के दिनांकित 24.07.2020 के निर्णय और आदेश से।

के साथ

2021 की सिविल अपील No.7579।

संजय पारिख, वरिष्ठ अधिवक्ता।, पुखरंबम रमेश कुमार, सातविक पारिख, सुश्री अनुपमा नगंगोम, करुण शर्मा, अधिवक्ता। अपीलार्थी के लिए।

सुश्री आस्था मेहता, सुश्री विशाखा, सुश्री दीपानविता प्रियंका, अधिवक्ता। उत्तरदाताओं के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था
एम. आर. शाह, जे.

1. चूंकि इन दोनों अपीलों में कानून और तथ्यों का सामान्य प्रश्न उत्पन्न होता है, इन दोनों अपीलों का निर्णय एक साथ किया जाता है और उनका निपटान किया जाता है। 2. अहमदाबाद में गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा 2020 की लेटर्स पेटेंट अपील No.82 में पारित किए गए विवादित फैसले और आदेश से व्यथित और असंतुष्ट महसूस करते हुए, जिसके द्वारा उच्च न्यायालय ने प्रतिवादी नं. 1 इसमें-गुजरात जल आपूर्ति और सीवरेज बोर्ड (जिसे इसके बाद बोर्ड के रूप में संदर्भित किया गया है) ने 2018 के विशेष दीवानी आवेदन No.16470 में विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित निर्णय और आदेश को रद्द कर दिया है, जिसके द्वारा विद्वान एकल न्यायाधीश ने अपीलकर्ताओं द्वारा यहां प्रस्तुत की गई उक्त रिट याचिका को अनुमति दी है और कहा है कि इसमें अपीलकर्ता-मूल उत्तरदाता सभी के साथ Rs.950-1500 के वेतनमान के हकदार हैं।

10 साल की सेवा के पूरा होने पर परिणामी लाभ और 5 वें, 6 वें और 7 वें वेतन आयोग के पैमाने के अनुसार अपने वेतनमान को संशोधित करने के आधार पर, मूल रिट याचिकाकर्ताओं ने वर्तमान अपील को प्राथमिकता दी है।

3. 2020 की एक अन्य लेटर्स पेटेंट अपील No.179 में, उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने लेटर्स पेटेंट में अपने फैसले का पालन किया है

2020 की अपील No.82 जो एक अन्य अपील का विषय है। इसलिए, सुविधा के लिए 2020 के लेटर अपील No.82 में उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित फैसले और आदेश से

उत्पन्न 2021 की सिविल अपील संख्या 7578 में तथ्यों का वर्णन किया गया है और विचार किया जाए और उक्त अपील को एक प्रमुख अपील के रूप में माना जाए।

राजेश प्रवीणचंद्र राजगुरु बनाम। गुजरात जल आपूर्ति और सेवा बोर्ड [एम. आर. शाह, जे.]

4. कि प्रतिवादी-बोर्ड का गठन गुजरात जल आपूर्ति और सीवरेज बोर्ड अधिनियम, 1978 (इसके बाद) के तहत किया गया है। तेजी से विकास और उचित विनियमन के लिए 'अधिनियम' के रूप में संदर्भित)

गुजरात राज्य में जल आपूर्ति और मलजल निकासी की गतिविधियाँ। जब तक बोर्ड अपने स्वयं के नियम और विनियम नहीं बनाता, तब तक बोर्ड ने बेहतर प्रशासन के लिए बोर्ड के गठन की तारीख से राज्य सरकार के नियमों, विनियमों, परिपत्रों, नीतियों, निर्देशों और सभी योजनाओं का पालन करने के लिए एक संकल्प दिनांक 1 के माध्यम से निर्णय लिया था। ऐसा प्रतीत होता है कि पिछले कई वर्षों से राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के तहत कई दिहाड़ीदार काम कर रहे थे। दैनिक वेतनभोगियों की सेवा शर्त से संबंधित मुद्दे को हल करने की दृष्टि से रखरखाव और मरम्मत कार्य में लगे तत्कालीन सड़क और भवन विभाग मंत्री श्री दौलतभाई परमार की अध्यक्षता में 'श्री दौलतभाई परमार समिति' नामक एक समिति का गठन किया गया था। समिति द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर, गुजरात सरकार ने दिनांक 1 का एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें सरकार ने कुशल दैनिक मजदूरी करने वाले श्रमिकों को कुछ लाभ देने का निर्णय लिया, जो सेवाओं की अवधि के आधार पर होता है, यानी 5,5 या उससे कम या 10 साल से अधिक।

4.1 संकल्प दिनांक 1 में निहित योजना के अनुसार सभी दैनिक वेतन भोगी श्रमिक सेवाओं में नियमितीकरण या स्थायित्व के हकदार नहीं थे। उक्त प्रस्ताव के अनुसार दैनिक मजदूर निम्नलिखित लाभों के हकदार हैं:

((iii) दैनिक वेतनभोगी और अर्ध-कुशल श्रमिक जिनके पास सेवा है - दस साल से अधिक लेकिन 15 साल से कम के लोग कुशल श्रमिकों के बराबर न्यूनतम वेतनमान प्राप्त करने के हकदार हैं, साथ ही महँगाई [2021] 9 एस. सी. आर.

उसके कार्य दिवसों के लिए प्रचलित मानक के अनुसार भत्ता। इसके अलावा, ऐसे दिहाड़ीदारों को 14 अलग-अलग छुट्टियों के अलावा दो वैकल्पिक अवकाश मिलेंगे। छुट्टी, रविवार की छुट्टी और राष्ट्रीय त्योहार की छुट्टियां। वह चिकित्सा भत्ता और भविष्य निधि की कटौती प्राप्त करने के लिए पात्र होगा।

((iv) दैनिक मजदूरी करने वाले और अर्ध-कुशल श्रमिक जिनके पास सेवा है

15 वर्ष से अधिक समय तक काम करने वाले श्रमिकों को स्थायी कर्मचारी माना जाएगा और ऐसे अर्ध-कुशल श्रमिकों को महँगाई भत्ता, स्थानीय शहर भत्ता और घर का किराया भत्ता के साथ कुशल श्रमिकों का वर्तमान वेतनमान मिलेगा। उन्हें प्रचलित प्रावधानों के अनुसार लाभ मिलेगा। उपदान, सेवानिवृत्त वेतन, सामान्य भविष्य निधि के नियम। इसके अलावा, उन्हें 14 गलत छुट्टियों के अलावा दो वैकल्पिक अवकाश मिलेंगे। छोड़ दो, 30

दिन अर्जित अवकाश, 20 दिन आधा वेतन अवकाश, रविवार अवकाश और राष्ट्रीय त्योहार अवकाश। दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों और अर्ध-कुशल, जिन्होंने अपनी सेवा के 15 वर्ष से अधिक पूरे कर लिए हैं, उन्हें कुशल श्रमिकों के वर्तमान वेतनमान में एक वेतन वृद्धि, 20 वर्ष की सेवा के लिए दो वेतन वृद्धि और 25 वर्ष के लिए तीन वेतन वृद्धि मिलेगी।

और उनका वेतन उसी के अनुसार तय किया जाएगा।

4.2 कि प्रत्यर्थी बोर्ड ने सरकार को अपनाया

संकल्प दिनांक 17.10.1988 दिनांकित 08.06.1989 संचार के माध्यम से। कि संबंधित मूल याचिकाकर्ता दैनिक मूल्यांकन के रूप में काम कर रहे हैं बोर्ड के साथ कर्मचारी। वह जीआर दिनांक 17.10.1988 को अपनाने पर

(उत्तरदाता द्वारा इसके बाद 'मूल संकल्प' के रूप में संदर्भित)-मूल याचिकाकर्ताओं सहित बोर्ड के साथ काम करने वाले सभी दैनिक मूल्यांकन वाले कर्मचारियों को उनकी 5 साल की सेवाओं के पूरा होने पर Rs.750 के वेतनमान और अन्य लाभों का लाभ दिया गया था।

4.3 इसके बाद राज्य सरकार ने 01.05.1991 दिनांकित प्रस्ताव के माध्यम से 17.10.1988 दिनांकित प्रस्ताव को संशोधित किया। इसके तहत

संशोधित जी. आर. दिनांक 01.05.1991 में यह प्रावधान किया गया है कि सभी विभाग लिपिक संवर्ग वर्ग-III का प्रशासनिक कार्य उन एस. सी. सी. उत्तीर्ण दैनिक वेतनभोगियों को सौंपेंगे जिन्होंने 7 वर्ष पूरे कर लिए हैं और इसमें आगे यह प्रावधान किया गया है कि इस तरह के

दैनिक वेतन का भुगतान कर्तव्य सौंपने की तारीख से Rs.950-1500 के वेतनमान से किया जाना चाहिए। एक अन्य प्रस्ताव दिनांक 15.02.1992 जारी किया गया था जिसमें कहा गया था कि Rs.950 का वेतन उन सभी एस. एस. सी. उत्तीर्ण दैनिक वेतनभोगियों को Rs.950-1500 W. E. F. 01.05.1991 के वेतनमान में दिया जाएगा जिन्होंने 7 साल की सेवा पूरी कर ली है। जैसा कि यहाँ ऊपर देखा गया है, प्रत्यर्थी-बोर्ड ने सभी रिट याचिकाकर्ताओं और बोर्ड के साथ काम करने वाले दैनिक मूल्यांकन वाले कर्मचारियों को मूल प्रस्ताव के तहत लाभ प्रदान किए।

गुजरात जल आपूर्ति और सेवा बोर्ड [एम. आर. शाह, जे.]

कि प्रत्यर्थी-बोर्ड के मुख्य कार्यालय के ध्यान में आया कि दिनांकित 01.05.1991 और 15.02.1992 प्रस्तावों को अपनाने के किसी भी नीतिगत निर्णय के अभाव में, अनजाने में कुछ दैनिक वेतनभोगियों को Rs.950 1500 के वेतनमान का लाभ दिया गया है और इसलिए दिनांकित 05.06.2015 निर्देशों के अनुसार, यह निर्देश दिया गया था कि ऐसे लाभ नहीं दिए जाने चाहिए। वास्तव में, प्रत्यर्थी-बोर्ड ने दिनांकित 01.05.1991 और 15.02.1992 के प्रस्तावों को अनजाने में लागू करते हुए दिए गए Rs.950-1500 के वेतनमान के लाभ को वापस ले लिया और यहाँ तक कि वसूली भी शुरू कर दी, जो कुछ अन्य कार्यवाहियों में उच्च न्यायालय के समक्ष विषय है। 4.5 ऐसा प्रतीत होता है कि संबंधित मूल रिट याचिकाकर्ताओं ने बोर्ड को दिनांकित 01.05.1991 और 15.02.1992 के प्रस्तावों के अनुसार Rs.950-1500 के वेतनमान में रखने और Rs.3050-4590 की सीमा तक वेतन में आगे संशोधन करने के लिए विभिन्न अभ्यावेदन भेजे। इसके बाद मूल रिट याचिकाकर्ताओं ने 2018 के एस. सी. ए. No.16470 के माध्यम से उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया ताकि उन्हें दिनांकित 01.05.1991 और 15.02.1992 के सरकारी प्रस्तावों के तहत वेतनमान का लाभ दिया जा सके और उन्हें Rs.950-1500 के वेतनमान में रखा जा सके। बोर्ड द्वारा विस्तृत जवाब दाखिल करके उक्त रिट याचिका का विरोध किया गया था। बोर्ड की ओर से यह विशिष्ट मामला था कि दिनांकित 01.05.1991 और 15.02.1992 के संशोधित सरकारी प्रस्तावों को बोर्ड द्वारा कभी भी मूल प्रस्ताव दिनांकित 17.10.1988 की तरह नहीं अपनाया जाता है। बोर्ड की ओर से यह भी मामला था कि कुछ क्षेत्रीय कार्यालयों में 01.05.1991 और 15.02.1992 दिनांकित प्रस्तावों का लाभ अनजाने में दिया गया था जिन्हें वापस ले लिया गया है। बोर्ड की ओर से यह विशिष्ट मामला था कि जब तक बोर्ड विशेष रूप से 01.05.1991 दिनांकित सरकारी प्रस्तावों को स्वीकार नहीं करता है और

15.02.1992 , मूल रिट याचिकाकर्ता और अन्य दैनिक मूल्यांकन वाले कर्मचारी उक्त प्रस्तावों के तहत लाभ के हकदार नहीं हैं। यह भी प्रस्तुत किया गया कि बाद के प्रस्तावों को

स्वचालित रूप से अपनाया नहीं गया है। यह भी मामला था कि अन्य लोगों की तरह सरकारी प्रस्तावों दिनांक 01.05.1991 और 15.02.1992 का लाभ अनजाने में [2021] 9 एस. सी. आर. को दिया गया था।

और गलती से और वास्तव में उन्हें वापस लेने/वापस लेने की मांग की जाती है, रिट याचिकाकर्ता समानता का दावा नहीं कर सकते हैं। कि दिनांक 15.10.2019 के निर्णय और आदेश द्वारा, विद्वान एकल न्यायाधीश ने रिट याचिका को अनुमति दी और बोर्ड को मूल रिट याचिकाकर्ताओं-दैनिक मूल्यांकन वाले कर्मचारियों को 10 साल की सेवा पूरी करने पर सभी परिणामी लाभों के साथ Rs.950-1500 के वेतनमान का लाभ देने का निर्देश दिया और इस आधार पर 5 वें, 6 वें और 7 वें वेतन आयोग के मानकों के अनुसार उनके वेतनमान को संशोधित किया। विद्वान एकल न्यायाधीश ने भी अरार का भुगतान करने का निर्देश दिया।

5. विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय और आदेश से व्यथित और असंतुष्ट महसूस करते हुए, बोर्ड ने

उच्च न्यायालय की खंड पीठ के समक्ष 2018 की लेटर्स पेटेंट अपील 16470। विवादित निर्णय और आदेश द्वारा उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने लेटर्स पेटेंट अपील को मंजूरी दे दी है और विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित निर्णय और आदेश को यह कहते हुए रद्द कर दिया है कि बोर्ड द्वारा दिनांकित बाद के संशोधित सरकारी प्रस्तावों 01.05.1991 और 15.02.1992 को नहीं अपनाया गया है, बोर्ड के दैनिक श्रेणी के कर्मचारी इससे प्राप्त किसी भी लाभ के हकदार नहीं हैं।

संशोधित सरकारी प्रस्ताव दिनांक 01.05.1991 और 15.02.1992 जो बोर्ड द्वारा स्वीकार नहीं किए जाते हैं।

6. उच्च न्यायालय की खंड पीठ द्वारा पारित आदेश और आक्षेप से व्यथित और असंतुष्ट महसूस करते हुए कहा कि मूल रिट याचिकाकर्ता Rs.950-1500 के वेतनमान के हकदार नहीं हैं और

संशोधित सरकारी प्रस्तावों दिनांक 01.05.1991 और 15.02.1992 से प्राप्त लाभों के लिए मूल रिट याचिकाकर्ताओं-प्रतिवादी बोर्ड के दैनिक मूल्यांकन वाले कर्मचारियों ने वर्तमान अपीलों को प्राथमिकता दी है।

7. मूल रिट याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वरिष्ठ वकील श्री संजय पारिख ने जोर देकर कहा है कि

उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने रद्द करने और स्थापित करने में गलती की है विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित सुविचारित निर्णय और आदेश को दरकिनार कर दें।

7.1 यह प्रस्तुत किया जाता है कि विद्वान एकल न्यायाधीश ने प्रत्येक पर विचार किया

मामले के पहलू और अभिलेख पर सामग्री पर विचार करते हुए उचित रूप से यह अभिनिर्धारित किया गया है कि मूल रिट याचिकाकर्ता दिनांकित 01.05.1991 और 15.02.1992 सरकारी प्रस्तावों से प्राप्त लाभ के हकदार हैं। 7.2 श्री पारिख, विद्वान वरिष्ठ वकील द्वारा आगे प्रस्तुत किया गया है कि इस प्रकार प्रतिवादी-बोर्ड ने राजेश प्रवीणचंद्र राजगुरु बनाम दिनांकित एक प्रस्ताव पारित किया।

गुजरात जल आपूर्ति और सेवा बोर्ड [एम. आर. शाह, जे.]

06.08.1990 कि जब तक बोर्ड अपने नियम और विनियम नहीं बनाता,

बोर्ड राज्य सरकार के नियमों, विनियमों, परिपत्रों, नीतियों, निर्देशों और सभी योजनाओं का पालन करेगा। यह प्रस्तुत किया जाता है कि बोर्ड द्वारा आज तक कोई नियम और विनियम नहीं बनाए गए हैं। यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसलिए बोर्ड अपने स्वयं के बोर्ड संकल्प दिनांक 06.08.1990 का पालन करने और/या कार्य करने के लिए बाध्य है।

7.3 यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि अन्यथा भी एक बार माता-पिता

बोर्ड द्वारा पारित किया गया संकल्प, सभी क्रमिक संशोधित प्रस्ताव लागू होंगे और बोर्ड द्वारा लागू किए जाने होंगे।

7.4 यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि बोर्ड एक वैधानिक निकाय होने के नाते,

बाद के सभी नीतिगत निर्णयों/संकल्पों को उसी तरीके से अपनाना होगा जिसमें मूल संकल्प को अपनाया गया था।

7.5 मूल रिट याचिकाकर्ताओं के विद्वान वरिष्ठ वकील श्री पारिख ने आगे कहा कि वास्तव में कई कर्मचारी हैं

जिन्हें दिनांक 1 और 2 के सरकारी प्रस्तावों के तहत ऐसे लाभ दिए गए हैं और मूल रिट याचिकाकर्ताओं जैसे दैनिक मूल्यांकन वाले कुछ ही कर्मचारियों को 1991 और 1992 के जी. आर. के तहत लाभ से वंचित किया जाता है। इसलिए यह प्रस्तुत किया जाता है कि जैसा कि विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा उचित रूप से देखा गया है और अभिनिर्धारित किया गया है कि कुछ दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को सरकारी प्रस्तावों दिनांक 1 और 2 के लाभ से वंचित करने में प्रतिवादी-बोर्ड की कार्रवाई भेदभावपूर्ण और भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन होगी। यह प्रस्तुत किया जाता है कि कुल 3348 दैनिक मूल्यांकन वाले कर्मचारियों में से, मूल रिट याचिकाकर्ताओं की तरह केवल 474 दैनिक मूल्यांकन वाले कर्मचारियों को 1991 और 1992 के प्रस्तावों के लाभों से वंचित किया जाता है।

7.6 अपीलार्थियों के विद्वान वरिष्ठ वकील श्री पारिख द्वारा आगे प्रस्तुत किया जाता है कि इस तरह पहले जल आपूर्ति की सेवा और

सीवरेज़ गुजरात सरकार के नियंत्रण में था और केवल अधिनियम के तहत बोर्ड के गठन पर ऐसी गतिविधि बोर्ड को हस्तांतरित की गई थी। यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसलिए, बोर्ड उन गतिविधियों को चला रहा है जो पहले सरकार कर रही थी। यह प्रस्तुत किया जाता है कि जब बोर्ड क़ानून का निर्माण कर रहा है और उन गतिविधियों को कर रहा है जो पहले राज्य द्वारा की गई थीं सरकार और इसे राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित किया जाता है, मूल रिट याचिकाकर्ताओं की तरह बोर्ड के दैनिक मूल्यांकन वाले कर्मचारी भी उन्हीं लाभों के हकदार हैं जो राज्य सरकार के अन्य विभागों के दैनिक मूल्यांकन वाले कर्मचारियों के लिए उपलब्ध हैं। भारी निर्भरता [2021] 9 एस. सी. आर. रखी गई है।

गुजरात राज्य और अन्य बनाम पीडब्ल्यूडी कर्मचारी संघ और अन्य के मामले में इस न्यायालय के निर्णय पर, (2013) 12 एससीसी 417।

8. उपरोक्त प्रस्तुतियाँ करते हुए और उपरोक्त निर्णय पर भरोसा करते हुए, यह प्रार्थना की जाती है कि वर्तमान अपीलों को अनुमति दी जाए और रद्द कर दिया जाए और डिवीजन बेंच द्वारा पारित विवादित निर्णय और आदेश और पुनर्स्थापना

विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित निर्णय और आदेश जो 1991 और 1992 के प्रस्तावों से प्राप्त लाभों की अनुमति देता है। 9. प्रतिवादी-बोर्ड की ओर से उपस्थित विद्वान वकील सुश्री आस्था मेहता द्वारा वर्तमान अपीलों का जोरदार विरोध किया जाता है।

9.1 यह प्रत्यर्थी की ओर से पेश विद्वान वकील सुश्री मेहता द्वारा जोरदार रूप से प्रस्तुत किया गया है-बोर्ड कि तथ्यों और परिस्थितियों में

इस मामले में उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने प्रतिवादी-बोर्ड द्वारा दायर अपीलों को स्वीकार करने में कोई त्रुटि नहीं की है और विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश को रद्द कर दिया है।

9.2 यह प्रस्तुत किया जाता है कि मूल रिट याचिकाकर्ता-दैनिक

उत्तरदाता-बोर्ड के साथ काम करने वाले रेटेड कर्मचारियों को मूल संकल्प दिनांक 17.10.1988 के तहत लाभ प्रदान किया गया है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि इस तरह के लाभ दिए गए हैं क्योंकि बोर्ड ने विशेष रूप से मूल प्रस्ताव दिनांक 17.10.1988 को अपनाया है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि हालांकि 1991 और 1992 के बाद के संशोधित प्रस्तावों को बोर्ड द्वारा कभी भी अपनाया नहीं गया है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसलिए मूल रिट याचिकाकर्ताओं की तरह प्रतिवादी-बोर्ड के साथ काम करने वाले दैनिक मूल्यांकन वाले कर्मचारी 1991 और 1992 के प्रस्तावों से प्राप्त किसी भी लाभ के हकदार नहीं हैं। यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसलिए उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने सही निर्णय दिया है कि चूंकि 1991 और 1992 के बाद के प्रस्तावों को प्रतिवादी-बोर्ड द्वारा अपनाया नहीं गया है, इसलिए मूल रिट याचिकाकर्ता-प्रतिवादी-बोर्ड के दैनिक मूल्यांकन वाले कर्मचारी-1991 और 1992 के प्रस्तावों के तहत किसी भी लाभ के हकदार नहीं हैं।

9.3 प्रत्यर्थी-बोर्ड की ओर से उपस्थित विद्वान वकील सुश्री मेहता ने आगे कहा कि इस तथ्य के बावजूद कि 1991 और 1992 के प्रस्तावों को बोर्ड द्वारा कभी भी स्वीकार नहीं किया गया था। बोर्ड, कुछ क्षेत्रीय कार्यालयों में अनजाने में और गलती से 1991 और 1992 के प्रस्तावों के तहत लाभ दिए गए थे। यह है।

प्रस्तुत किया कि तुरंत जब मुख्य कार्यालय को पता चला,

सभी क्षेत्रीय कार्यालयों को 1991 और 1992 के प्रस्तावों के तहत लाभ देना बंद करने और राशि की वसूली करने के निर्देश जारी किए गए थे

गलती से दिया गया। यह प्रस्तुत किया जाता है कि वर्ष में बाद का निर्णय राजेश प्रवीणचंद्र राजगुरु बनाम।

2015 1991 और 1992 के प्रस्तावों के तहत लाभ वापस लेने को मूल रिट याचिकाकर्ताओं द्वारा कभी भी चुनौती नहीं दी जाती है, जो गलती से और अनजाने में दिए जाते हैं। यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसलिए 1991 और 1992 के प्रस्तावों से प्राप्त लाभ को वापस लेने का निर्णय कायम है।

9.4 यह प्रस्तुत किया जाता है कि विद्वान एकल न्यायाधीश ने रिट की अनुमति दी

याचिकाएँ दायर कीं और उत्तरदाता-बोर्ड को लाभ प्रदान करने का निर्देश दिया 1991 और 1992 के प्रस्तावों से पूरी तरह से और मुख्य रूप से भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 के भेदभाव और उल्लंघन के आधार पर यह देखते हुए कि प्रतिवादी-बोर्ड के साथ काम करने वाले अन्य दैनिक मूल्यांकन वाले कर्मचारियों को निम्नलिखित प्रस्तावों के तहत लाभ प्रदान किया जाता है।

1991 और 1992 और इसलिए मूल रिट याचिकाकर्ताओं को समान लाभों का भुगतान नहीं करना भेदभावपूर्ण और संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है।

भारत का संविधान। यह प्रस्तुत किया जाता है कि हालांकि विद्वान एकल न्यायाधीश इस बात की सराहना करने में विफल रहे कि अन्य कर्मचारियों को दिए गए लाभों को वापस ले लिया गया है और यहां तक कि वसूली की भी मांग की गई है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसके बाद यह नहीं कहा जा सकता है कि प्रस्तावों के तहत लाभ नहीं देने में प्रतिवादी-बोर्ड की कार्रवाई

1991 और 1992 को भेदभावपूर्ण और/या भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन कहा जा सकता है।

9.5 सुश्री मेहता, प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थित विद्वान वकील -

बोर्ड ने तिथियों और घटनाओं की निम्नलिखित कालानुक्रमिक सूची पर विचार करने का अनुरोध किया है:

विशिष्टताएँ

एस. नहीं

तिथि

सरकार. गुजरात सरकार ने 17.10.1988 दिनांकित एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें

17.10.1988

1 .

सरकार ने कुशल दैनिक मजदूरी वाले काम को कुछ लाभ देने का फैसला किया, जो सेवा की अवधि पर निर्भर करता है, यानी 5,5 या उससे कम या 10 साल से अधिक।

इसे एसएलपी में मूल संकल्प/नीति के रूप में संदर्भित किया जाता है।

प्रत्यर्थी बोर्ड ने उपरोक्त संदर्भित प्रस्ताव को अपनाया

2 .

08.06.1989

दिनांकित संचार 08.06.1989।

संकल्प के दौरान, मूल में कुछ संशोधन किए गए थे

01.05.1991

3 .

में संकल्प

1988 का संकल्प। प्रस्ताव में निर्धारित किया गया है कि सभी विभाग लिपिक संवर्ग वर्ग-III का प्रशासनिक कार्य उन्हें सौंपेंगे।

सवाल

एस. एस. सी. उन दैनिक मजदूरों को उत्तीर्ण करता है जिन्होंने 07 वर्ष पूरे कर लिए हैं।

यह भी निर्णय लिया गया कि इस तरह के दैनिक वेतन का भुगतान किया जाना चाहिए

रु. 950-1500 कर्तव्य सौंपने की तारीख से।

सभी मुख्य अभियंताओं को प्रशासनिक निर्देश जारी किए गए

29.08.1991

4 .

क्षेत्रीय कार्यालय जो सरकार के अनुसार लाभान्वित होते हैं। 1991 का संकल्प बोर्ड के दैनिक मूल्यांकन वाले कर्मचारियों को नहीं दिया जाना है।

एक अन्य प्रस्ताव जारी किया गया था जिसमें कहा गया था कि रुपये का वेतन। 950

5 .

15.02.1992

रुपये के वेतनमान में प्रदान किया जाएगा। 950-1500 डब्ल्यू. एफ. 01.05.1991 उन सभी एस. एस. सी. पास दैनिक वेतनभोगियों के लिए जिन्होंने 7 साल की सेवा पूरी कर ली है।

प्रत्यर्थी को 1988 (अभिभावक संकल्प) के तहत लाभ प्रदान किए गए

6 .

13.08.2003

याचिकाकर्ता ने अपने 5 साल पूरे होने पर उसे मूल वेतन रु। 2550 / - .

7 .

प्रत्यर्थी ने याचिकाकर्ता को उसके 10 वर्ष पूरे होने पर 1988 (अभिभावक संकल्प) के तहत लाभ प्रदान किए और उसे

03.08.2004

रु. 2550-55-2600-60-3200 .

अनजाने में उत्तरदाता बोर्ड ने इसका लाभ बढ़ाया

8 .

30.03.2015

01.05.1991 और कुछ में अकुशल दैनिक दांव के लिए

15.02.1992 लाभ

/10.04.2015

क्षेत्रीय कार्यालय।

प्रत्यर्थी बोर्ड के मुख्य कार्यालय के ध्यान में आया कि

9 .

05.06.2015

01.05.1991 और 15.02.1992 को अपनाने के किसी भी नीतिगत निर्णय के अभाव में, अनजाने में कुछ दैनिक मजदूरों को 950-1500 के वेतनमान का लाभ दिया गया था, और 05.06.2015 दिनांकित निर्देशों के अनुसार यह निर्देश दिया गया था

कि इस तरह के लाभ नहीं दिए जाने चाहिए।

याचिकाकर्ता ने प्रतिवादी बोर्ड को विभिन्न अभ्यावेदन भेजे

10 .

2015-2018

1991 और 1992 के संकल्पों को लागू करने पर विचार करें।

याचिकाकर्ता ने उच्च न्यायालय के समक्ष 2018 का एस. सी.

ए. सं. 16470 दायर किया

11 .

2018

कुछ अन्य कर्मचारियों के साथ समानता का दावा करना जिन्हें

अनुमति दी गई थी

1991 और 1992 के संकल्पों के तहत लाभ।

प्रत्यर्थी बोर्ड ने अपना हलफनामा-इन-रिप्लाई दाखिल किया जिसमें निम्नलिखित बात कही गई है:

12 .

23.07.2019

विवाद:

1 . सरकार की नीतियाँ स्वत: लागू और बाध्यकारी नहीं होती हैं।

उत्तरदाता पर।

2 . बोर्ड ने 1991 और 1992 की अधिसूचनाओं के तहत कुशल श्रमिकों को उपलब्ध लाभ देने का कोई निर्णय नहीं लिया है और

1988 के संकल्प के लाभ दिए गए अकुशल कामगारों के लिए भी इसका विस्तार किया जाए।

3 . संचार 05.06.2015 के माध्यम से, बोर्ड ने सभी प्रमुखों को निर्देश दिया

जोन के इंजीनियरों को कोई लाभ नहीं दिया जाएगा।

4 . पात्र अकुशल दिहाड़ी मजदूरों को इस तरह के लाभ देने के लिए बोर्ड द्वारा सरकार को भेजे गए प्रस्ताव के बावजूद, सरकार ने कोई निर्णय नहीं लिया है।

याचिकाकर्ता ने शपथ पत्र दाखिल किया।

13 .

07.09.2019

संबंधित सरकारी विभाग ने आवेदन के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया

09.09.2019

14 .

बोर्ड के दैनिक मूल्यांकन वाले श्रमिकों को 1991 के संकल्प के तहत लाभ।

राजेश प्रवीणचंद्र राजगुरु बनाम। गुजरात जल आपूर्ति और सेवा बोर्ड [एम. आर. शाह, जे.]

9.6 यह प्रस्तुत किया जाता है कि उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने इस तथ्य की सही सराहना की है और सही निर्णय दिया है कि मूल रिट याचिकाकर्ता और प्रतिवादी-बोर्ड के साथ काम करने वाले दैनिक मूल्यांकन वाले कर्मचारी 1991 और 1992 के सरकारी प्रस्तावों से प्राप्त लाभों के हकदार नहीं हैं।

9.7 यह प्रस्तुत किया जाता है कि बाद में भी सरकार ने 1991 के प्रस्ताव के तहत लाभों के आवेदन के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया है।

9.8 यह प्रस्तुत किया जाता है कि जैसा कि कुछ क्षेत्रीय कार्यालयों में हालांकि हकदार नहीं है, दैनिक मूल्यांकन वाले कर्मचारियों को इसके तहत लाभ प्रदान किए गए थे

1991 और 1992 के संकल्प अनजाने में और गलती से, समान

वापस ले लिया गया और यहाँ तक कि वसूली की भी मांग की जाती है। इसके बाद शेष दैनिक मूल्यांकन वाले कर्मचारियों को कोई लाभ देने का कोई सवाल ही नहीं है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि अन्यथा भी मूल रिट याचिकाकर्ताओं को 1991 और 1992 के सरकारी प्रस्तावों के तहत लाभ प्राप्त करने के अपने अधिकार को स्वतंत्र रूप से स्थापित करना होगा। यह प्रस्तुत किया जाता है कि वर्तमान मामले में समानता की अवधारणा को अन्य दिहाड़ी मजदूरों के लिए एक गलती को कायम रखने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य बनाम राजकुमार शर्मा और अन्य (2006) के मामले में रिलायंस को इस अदालत के फैसले में रखा गया है।

3 एस. सी. सी. 330 (पैरा 15); पश्चिम बंगाल राज्य और अन्य बनाम देबाशीष मुखर्जी और अन्य, (2011) 14 एस. सी. सी. 187 और पी. सिंगरावेलन और अन्य बनाम जिला कलेक्टर, तिरुपुर और डी. टी. और अन्य, (2020) 3 एस. सी. सी. 133। 9.9 उत्तरदाता-बोर्ड की ओर से उपस्थित विद्वान वकील सुश्री मेहता द्वारा आगे यह प्रस्तुत किया जाता है कि कोई स्वचालित आवेदन नहीं हो सकता है।

बोर्ड द्वारा बाद के संकल्प। यह प्रस्तुत किया जाता है कि

उत्तरदाता-बोर्ड एक स्वायत्त और वैधानिक निकाय है और वेतनमान के संबंध में अपना निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि प्रतिवादी-बोर्ड के दैनिक मूल्यांकन वाले कर्मचारी होने के नाते, वे राज्य सरकार के कर्मचारियों को दिए जाने वाले लाभों के हकदार नहीं हैं

स्वचालित रूप से जब तक कि इसे बोर्ड द्वारा अपनाया न जाए।

9.10 यह प्रस्तुत किया जाता है कि अन्यथा भी जैसा कि इस न्यायालय द्वारा निर्णयों, वेतनमान के संशोधन और निर्धारण के मुद्दों के एक समूह में कहा गया है

वेतनमान/पद का कार्य नियोक्ता द्वारा किया जाना चाहिए, जो नियोक्ता की वित्तीय क्षमता पर निर्भर करता है। निर्णयों पर भरोसा रखा जाता है सचिव, वित्त विभाग और अन्य बनाम पश्चिम बंगाल पंजीकरण सेवा संघ और अन्य, [2021] 9 एस. सी. आर. के मामले में इस न्यायालय का।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

1993 सप्लीमेंट (1) एस. सी. सी. 153; बिहार राज्य और अन्य बनाम बिहार माध्यमिक शिक्षक संघर्ष समिति, मुंगेर और अन्य, (2019) 18 एस. सी. सी. 301 और पंजाब राज्य सहकारी दूध उत्पादक संघ लिमिटेड और एक अन्य बनाम बीर कुमार वालिया और अन्य, (2021) 8 एस. सी. सी. 784।

9.11 यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि वर्तमान मामले में यदि बोर्ड को सरकारी प्रस्तावों से प्रवाहित लाभ प्रदान करने का निर्देश दिया जाता है

बोर्ड पर अतिरिक्त वित्तीय दायित्व। यह प्रस्तुत किया जाता है कि 3348 दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी हैं। 3348 दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों में से 474 को 1991 और 1992 के प्रस्तावों का लाभ नहीं दिया गया है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि प्रति दैनिक मजदूरी 5 लाख रुपये की अतिरिक्त वित्तीय देनदारी होगी और इसलिए यह देखते हुए कि 474 कर्मचारियों को मंजूरी नहीं दी गई है, 5 लाख रुपये को 474 कर्मचारियों में गुणा करने पर बोर्ड का कुल वित्तीय दायित्व 5 लाख रुपये हो जाता है। 23. 7 करोड़। यह प्रस्तुत किया जाता है कि मूल रिट याचिकाकर्ताओं की तरह शेष 474 दैनिक मूल्यांकन वाले कर्मचारियों के संबंध में भी प्रतिवादी-बोर्ड पर वार्षिक रूप से अतिरिक्त बोझ 2 करोड़ रुपये होगा।

10. उपरोक्त प्रस्तुतियाँ करते हुए वर्तमान को खारिज करने की प्रार्थना की जाती है।

अपीलें करें।

11. हमने संबंधित पक्षों के लिए विद्वान वकील को सुना है

लंबाई।

12. इस न्यायालय के समक्ष विचार के लिए जो छोटा सवाल उठाया गया है, वह यह है कि क्या मूल रिट याचिकाकर्ता-दैनिक मूल्यांकन वाले कर्मचारी हैं। प्रत्यर्थी के साथ काम करना-बोर्ड दिनांकित 01.05.1991 और 15.02.1992 के बाद के प्रस्तावों से प्राप्त लाभों का हकदार है? एक अन्य प्रश्न जो इस न्यायालय के समक्ष विचार के लिए रखा गया है, वह यह है कि क्या नकारात्मक समानता का सिद्धांत उस मामले में लागू होगा जहां अन्य कर्मचारियों को गलत तरीके से लाभ दिए गए थे और/या जो कर्मचारी समानता का दावा कर रहे हैं, उन्हें अपने अधिकार स्थापित करने होंगे।

स्वतंत्र रूप से विशेष लाभ प्राप्त करने के लिए?

13. संबंधित पक्षों के विद्वान वकील को सुनने के बाद और इसके ऊपर पुनः प्रस्तुत तिथियों और घटनाओं की सूची पर विचार करने के बाद

यह देखा जा सकता है कि रिट याचिकाकर्ता प्रतिवादी-बोर्ड के साथ दैनिक मूल्यांकन वाले कर्मचारियों के रूप में काम कर रहे हैं। गुजरात राज्य ने एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें राजेश प्रवीणचंद्र राजगुरु बनाम.

गुजरात जल आपूर्ति और सेवा बोर्ड [एम. आर. शाह, जे.]

दिनांक 17.10.1988 जिसमें सरकार ने कुशल दैनिक मजदूरी करने वाले श्रमिकों को कुछ लाभ देने का निर्णय लिया। प्रत्यर्थी-बोर्ड, जो अधिनियम के तहत गठित एक स्वायत्त निकाय है, ने 17.10.1988 दिनांकित प्रस्ताव को अपनाया और 17.10.1988 दिनांकित GR से प्रवाहित लाभों को प्रदान किया जो मूल संकल्प है। यह विवाद में नहीं है कि संबंधित मूल रिट याचिकाकर्ताओं-दैनिक मूल्यांकन वाले कर्मचारियों को मूल संकल्प दिनांक 17.10.1988 से प्रवाहित लाभ दिए जाते हैं।

13.1 हालाँकि, बाद में सरकार ने 01.05.1991 और 15.02.1992 दिनांकित प्रस्ताव जारी किए जिनके द्वारा कुछ संशोधन किए गए थे

आई. डी. 1 और आई. डी. 2 दिनांकित सरकारी प्रस्ताव मुख्य रूप से इस आधार पर कि इसी तरह के अन्य दैनिक श्रेणी के कर्मचारियों को 1991 और 1992 के उपरोक्त सरकारी प्रस्तावों के तहत लाभ प्रदान किया गया है और इसलिए अन्य दैनिक श्रेणी के कर्मचारियों-अन्य रिट याचिकाकर्ताओं को इस तरह के लाभ नहीं दिए गए हैं जो भेदभावपूर्ण और भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है। 13.2 हालांकि, यह ध्यान देने की आवश्यकता है कि बोर्ड ने कभी भी बाद के संकल्पों को दिनांकित 01.05.1991 को नहीं अपनाया और

15.02.1992 . यह ध्यान दिया जाना आवश्यक है कि मूल संकल्प दिनांक 17.10.1988 को बोर्ड द्वारा दिनांक 08.06.1989 के संचार के माध्यम से विशेष रूप से अनुमोदित किया गया था। इसके विपरीत क्षेत्रीय कार्यालयों के सभी मुख्य अभियंताओं को दिनांक 29.08.1991 के माध्यम से प्रशासनिक निर्देश जारी किए गए थे कि 1991 के सरकारी प्रस्ताव के अनुसार बोर्ड के दैनिक मूल्यांकन वाले कर्मचारियों को लाभ नहीं दिया जाना है। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि दिनांक 17.10.1988 के मूल प्रस्ताव को अपनाने से लेकर, प्रतिवादी-बोर्ड ने सभी मूल रिट याचिकाकर्ताओं-दैनिक मूल्यांकन वाले कर्मचारियों को मूल प्रस्ताव के तहत लाभ प्रदान किए।

5 वर्ष और 10 वर्ष पूरा करना। इसलिए बोर्ड ने

जो अधिनियम के तहत बनाया गया एक स्वायत्त और सांविधिक निकाय है, उसने कभी भी सरकारी प्रस्तावों दिनांक 01.05.1991 और 15.02.1992 को नहीं अपनाया और जब तक कि उक्त प्रस्तावों को प्रतिवादी-बोर्ड द्वारा स्वीकार नहीं किया जाता है, प्रत्यर्थी-बोर्ड के साथ काम करने वाले दैनिक मूल्यांकन वाले कर्मचारी बाद के संकल्पों से प्राप्त लाभों के हकदार नहीं होंगे।

स्वचालित रूप से अपनाना और/या बाद की प्रयोज्यता नहीं होगी। संकल्प। डिवीजन बेंच द्वारा उचित रूप से अभिनिर्धारित परिस्थितियों में, प्रतिवादी-बोर्ड के दैनिक मूल्यांकन वाले कर्मचारी अधिकार के मामले के रूप में 1991 और 1992 के प्रस्तावों से लाभ का दावा नहीं कर सकते हैं। जैसा कि उचित रूप से देखा गया है और माना गया है कि उन्हें 01.05.1991 के उपरोक्त प्रस्तावों से लाभ प्राप्त करने का कोई अधिकार नहीं है और

15.02.1992 जब तक प्रत्यर्थी द्वारा विशेष रूप से अपनाया नहीं जाता है-बोर्ड जैसे मूल संकल्प दिनांक 17.10.1988 को अपनाना।

13.3 यहां तक कि प्रतिवादी-बोर्ड के साथ काम करने वाले दैनिक मूल्यांकन वाले कर्मचारी होने के नाते भी वे राज्य सरकार के कर्मचारियों के साथ समानता का दावा नहीं कर सकते हैं। प्रत्यर्थी-बोर्ड अधिनियम के तहत बनाया गया एक स्वायत्त और वैधानिक निकाय है। अंततः यह प्रतिवादी-बोर्ड को एक सचेत निर्णय लेना है जिसे अपनाए जाने वाले वेतनमान और/या कुछ लाभों पर एक नीतिगत निर्णय के रूप में कहा जा सकता है जिनके वित्तीय निहितार्थ होंगे। सब कुछ इसकी आर्थिक व्यवहार्यता या वित्तीय क्षमता पर निर्भर करता है। कानून के तय किए गए प्रस्ताव के अनुसार वेतन संरचना को तय करते समय नियोक्ता की आर्थिक व्यवहार्यता या वित्तीय क्षमता एक महत्वपूर्ण कारक है, अन्यथा इकाई स्वयं कार्य करने में सक्षम नहीं हो सकती है और उसे अनिवार्य रूप से बंद करना पड़ सकता है और कर्मचारियों के लिए विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं। कानून के तय प्रस्ताव के अनुसार कर्मचारी वैध रूप से दावा नहीं कर सकते हैं।

13.4 कानून के तय प्रस्ताव के अनुसार पदों और वेतन का समीकरण एक जटिल मामला है जिसे विशेषज्ञ निकाय और उपक्रमों पर छोड़ दिया जाना चाहिए और अदालत हल्के में हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। न्यायालय द्वारा वेतन समानता प्रदान करने के परिणामस्वरूप प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। परिणाम। 'समान काम के लिए समान वेतन' के सिद्धांत की प्रयोज्यता की सीमाएँ या योग्यताएँ हैं।

13.5 प्रत्यर्थी-बोर्ड के दैनिक मूल्यांकन वाले कर्मचारी होने के नाते, वे सरकारी कर्मचारियों के समान व्यवहार का दावा नहीं कर सकते हैं। प्रतिवादी-बोर्ड एक स्वतंत्र इकाई है और इसकी अपनी वित्तीय क्षमता हो सकती है और इसलिए इसके कर्मचारी राज्य सरकार के कर्मचारियों के साथ समानता का दावा नहीं कर सकते हैं।

13.6 राज्य सरकार और स्वायत्त बोर्ड/निकायों को बराबर नहीं रखा जा सकता है। बोर्ड को अपने वित्तीय संसाधनों पर निर्भर रहना पड़ता है। पंजाब राज्य के मामले में हाल ही में लिए गए निर्णय में राजेश रामचंद्र राजगुरु बनाम.

गुजरात जल आपूर्ति और सेवा बोर्ड [एम. आर. शाह, जे.]

सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ लिमिटेड और एक अन्य (सुप्रा) को पैराग्राफ 32 में निम्नानुसार देखा गया है:

" 32. केंद्र या राज्य सरकार को कर लगाने का अधिकार है।

राज्य के खर्चों को पूरा करना। यह हमेशा सरकार का एक सचेत निर्णय होता है कि कितना कर लगाया जाना है ताकि नागरिकों पर अत्यधिक बोझ न पड़े। लेकिन बोर्डों और निगमों को दोनों में से किसी एक पर निर्भर रहना पड़ता है

उनके खर्चों के लिए, जैसा भी मामला हो, केंद्र/राज्य सरकार से संसाधन या अनुदान लें। इसलिए, केंद्र/राज्य सरकार के कर्मचारियों को उच्च वेतनमान के लाभों का अनुदान राज्य के एक साधन द्वारा वेतनमान के अनुदान की तुलना में अलग आधार पर है।

इसलिए, बोर्ड के दैनिक मूल्यांकन वाले कर्मचारी सरकार के साथ वेतनमान की समानता का दावा नहीं कर सकते हैं। कर्मचारी।

13.7 वर्तमान मामले में बोर्ड द्वारा दिनांकित 01.05.1991 सरकारी प्रस्तावों को नहीं अपनाने का एक सचेत निर्णय लिया गया है।

और 15.02.1992। यहां तक कि राज्य सरकार ने भी 1991 और 1992 के सरकारी प्रस्तावों के तहत लाभ बढ़ाने से इनकार कर दिया है। यदि 1991 और 1992 के सरकारी प्रस्तावों के तहत लाभों की अनुमति दी जाती है तो बोर्ड पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ को ध्यान में रखते हुए बोर्ड ने एक सचेत निर्णय लिया है।

14. दोहराव की कीमत पर, यह देखा जाता है कि जब तक बोर्ड ने 1991 के सरकारी प्रस्तावों को विशेष रूप से स्वीकार नहीं किया है और

1992 दिनांक 17.10.1988 के मूल संकल्प को अपनाने की तरह, प्रतिवादी-बोर्ड के दैनिक मूल्यांकन वाले कर्मचारी/कर्मचारी इसके हकदार नहीं होंगे 1991 और 1992 के संकल्पों से प्राप्त कोई भी लाभ। इसलिए, विद्वान एकल न्यायाधीश ने बोर्ड को दिनांकित 01.05.1991 सरकारी प्रस्तावों से प्राप्त लाभों को प्रदान करने का निर्देश देने में गलती की और

15.02.1992 जिसे उच्च न्यायालय की खंड पीठ द्वारा उचित रूप से अलग कर दिया गया है।
15. जहाँ तक मूल रिट याचिकाकर्ताओं की ओर से प्रस्तुत किया गया था जिसे विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा स्वीकार किया गया था कि

बोर्ड के अन्य दैनिक श्रेणी के कर्मचारियों को 1991 और 1992 के प्रस्तावों से प्राप्त लाभ प्रदान किए गए थे, शेष दैनिक श्रेणी के कर्मचारियों को समान लाभ का भुगतान नहीं करना भेदभावपूर्ण होगा और भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन, यह सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट है

[2021] 9 एस सी आर।

यह ध्यान देने की आवश्यकता है कि इस तरह के अधिकार के रूप में शुरू से ही प्रतिवादी-बोर्ड की ओर से यह मामला था कि 1991 और 1992 के प्रस्तावों के तहत लाभ अनजाने में और गलती से दिए गए थे

कुछ क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा, जिन्हें बाद में वापस ले लिया गया और यहां तक कि वसूली की भी मांग की गई है। जैसा कि मूल रिट याचिकाकर्ताओं के ऊपर देखा और अभिनिर्धारित किया गया है- बोर्ड के दैनिक मूल्यांकन वाले कर्मचारी 1991 और 1992 के सरकारी प्रस्तावों से प्राप्त लाभों के हकदार नहीं हैं। इसलिए, वे समानता के आधार पर लाभ का दावा करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 14 का उपयोग नहीं कर सकते हैं यदि वे अन्यथा इस तरह के लाभ के हकदार नहीं हैं। कानून के तय किए गए प्रस्ताव के अनुसार संविधान के अनुच्छेद 14 में केवल सकारात्मक समानता की अवधारणा है न कि नकारात्मक समानता की। अवैधता और अनियमितताओं को कायम रखने के लिए इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता है।

15.1 जैसा कि इस न्यायालय ने राजकुमार शर्मा (सुप्रा) के मामले में नियुक्तियों या वेतनमान के मामले में कहा था, संविधान के अनुच्छेद 14 में नकारात्मक समानता की परिकल्पना नहीं की गई है और यदि राज्य ने गलती करने पर उसे उसी गलती को कायम रखने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है।

15.2 देबाशीष मुखर्जी (सुप्रा) के मामले में समानता की अवधारणा पर विचार करते हुए पैराग्राफ 26 में कहा गया है:

" 26. अब यह अच्छी तरह से तय हो गया है कि कानून के समक्ष समानता की गारंटी एक सकारात्मक अवधारणा है और इसे नकारात्मक तरीके से लागू नहीं किया जा सकता है। यदि किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह के पक्ष में कोई अवैधता या अनियमितता की गई है, तो अन्य लोग इसका आह्वान नहीं कर सकते हैं।

न्यायालयों और न्यायाधिकरणों की अधिकारिता राज्य से इस तर्क पर उनके पक्ष में समान अनियमितता या अवैधता करने की अपेक्षा करती है कि उन्हें उन लाभों से वंचित कर दिया गया है जो अवैध रूप से या मनमाने ढंग से दूसरों को दिए गए हैं। [देखिए: गुरशरण सिंह बनाम नई दिल्ली नगरपालिका प्रशासन-1996 (2) एस. सी. सी. 459, भारत संघ बनाम किर्लोस्कर न्यूमेटिक्स लिमिटेड-1996 (4) एस. सी. सी. 433, भारत संघ बनाम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कंपनी-2003 (5) एस. सी. सी. 437, और बिहार राज्य बनाम परमेश्वर प्रसाद सिंह-2000 (9) एस. सी. सी. 94।] ”

16. इस न्यायालय द्वारा उपरोक्त निर्णयों में दिए गए कानून को लागू करते हुए मामले के तथ्यों पर और जैसा कि ऊपर देखा गया है, बोर्ड के दैनिक मूल्यांकन वाले कर्मचारी दिनांकित सरकारी प्रस्तावों 01.05.1991 और 15.02.1992 से प्रवाहित लाभों को अधिकार के रूप में दावा नहीं कर सकते हैं और इस तरह वे 1991 और 1992 के उक्त प्रस्तावों से प्रवाहित लाभों के लिए स्वचालित रूप से हकदार नहीं हैं और राजेश प्रवीणचंद्र राजगुरु बनाम.

तथ्य यह है कि बाद में भी अन्य क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा की गई गलती को ठीक कर दिया गया है और लाभ गलती से और/या अनजाने में वापस ले लिया गया है और यहां तक कि वसूली की मांग की गई है, विद्वान एकल न्यायाधीश ने यह अभिनिर्धारित करने में गंभीर त्रुटि की है कि प्रतिवादी-बोर्ड की कार्रवाई से लाभ नहीं दिया जा रहा है

1991 और 1992 का सरकारी प्रस्ताव भेदभावपूर्ण और भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है। इसे उच्च न्यायालय की खंड पीठ द्वारा सही किया गया है और उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश को सही ढंग से रद्द कर दिया है।

17. अब जहाँ तक पीडब्ल्यूडी कर्मचारी संघ (सुप्रा) में इस न्यायालय के निर्णय में मूल रिट याचिकाकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान वकील द्वारा रखी गई निर्भरता का संबंध है, वही मामले के तथ्यों पर लागू नहीं होगा और/या यह प्रतिवादी-बोर्ड के दैनिक मूल्यांकन वाले कर्मचारियों के लिए किसी भी सहायता का नहीं होगा। इस न्यायालय के समक्ष मामले में विवाद के संबंध में था

जैसा कि ऊपर देखा गया है, सरकारी विभागों के कर्मचारी और बोर्ड के कर्मचारी अलग-अलग आधार पर खड़े होते हैं। जैसा कि यहाँ ऊपर देखा गया है, बोर्ड के कर्मचारी सरकारी कर्मचारियों के साथ समानता का दावा नहीं कर सकते हैं। 18. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए और ऊपर बताए गए कारण के लिए डिवीजन बेंच द्वारा पारित विवादित निर्णय और आदेश को चुनौती दी गई

उच्च न्यायालय विफल हो जाता है। ऊपर बताए गए कारण के लिए, यह नहीं कहा जा सकता है कि उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने मामले में गंभीर त्रुटि की है।

लेटर्स पेटेंट अपील को अनुमति देना और उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और आदेशों को रद्द करना और रद्द करना। यह अभिनिर्धारित किया जाता है कि मूल रिट याचिकाकर्ता-प्रतिवादी बोर्ड के दैनिक श्रेणी के कर्मचारी-सरकारी प्रस्तावों से प्राप्त लाभों के हकदार नहीं हैं

दिनांकित 01.05.1991 और 15.02.1992। हालाँकि, उन्हें दिनांकित मूल संकल्प से प्राप्त लाभों का भुगतान या अनुदान देना जारी रखा जाएगा।

17.10.1988 जिसे लागू करने और भुगतान करने की सूचना है। ये दोनों अपीलें खारिज की जानी चाहिए और तदनुसार खारिज की जानी चाहिए।

हालांकि, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होगा।

अपीलों को कम कर दिया गया।

दिव्या पांडे